

हलुदू वलवलह अधलनलडड 1955 हेतु

( डतल डी ओर से)



-: शडथ डतुर:-

(हलुदू वलवलह अधलनलडड 1955 डे डरलडललन डें डुरसुत )

डै शडथडूरुवक कथन करतल हूँ कल:-

डेरल नलड:-

डलतल कल नलड:-

डलतल कल नलड:-

ऑनुडतलथल :-

आवेदन डलनलंक कल आयु

वुडसलड:-

ऑलतल:-

सुथलडु डतल:-

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ। पूर्व में मेरी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रही है।  
वर्तमान में विवाहित हूँ।

2. मेरा विवाह दिनांक.....को .....रिती रिवाज  
एवं अनुष्ठानों के माध्यम से दोनों पक्षकारों की सहमति से  
श्रीमती.....पिता.....माता.....  
.....जन्मतिथी.....जाति.....  
.....स्थायीपता.....स्थानीयपता.....  
.....के साथ हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ था। प्रमाण स्वरूप विवाह पत्रिका  
एवं विवाह छायाचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. यह कि मैं एवं द्वितीय पक्षकार श्रीमती .....जिला के समक्ष विवाह  
प्राधिकारी जिला इन्दौर म0प्र0 के क्षेत्राधिकार के भीतर विवाह पंजीयन आवेदन की दिनांक से  
30 दिवस पूर्व की कालावधि तक इन्दौर में निवासरत रहा हूँ।

4. यह कि हम दोनों विवाह दिनांक से ही बराबर पति-पत्नी के रूप में नियमित रूप से साथ में  
रह रहे हैं।

5. यह कि विवाह के समय में वयस्क था तथा 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका था

6. यह कि हम दोनों पक्षकारों के मध्य हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित अनुसार  
प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है।

7. यह कि विवाह के समय इस विवाह के अनुष्ठापन के लिए मेरी एवं द्वितीय पक्षकार की पूर्ण  
रूपेण राजी मर्जी एवं सहमति थी। साथ ही यह कि मेरे विवाह अनुष्ठापन के संबंध में मेरे पिता  
एवं परिजनों को किसी प्रकार कि आपत्ति नहीं है।

8. यह कि विवाह के समय एवं विवाह पंजीयन का आवेदन प्रस्तुत करते समय मैं शारीरिक तथा  
मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ एवं सोचने समझने की पूर्ण शक्ति रखता हूँ। मैं विधिमान्य

सम्मति देने में समर्थ होने के साथ साथ इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित नहीं रहा हूँ

9. यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है।

10. यह कि इस विवाह से हमारी .....संताने है, जिनके नाम एवं आयु इस प्रकार है:-

11. यह कि हम दोनों पक्षकारों द्वारा भारत में किसी भी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के अन्तर्गत इन्दौर अथवा किसी अन्य स्थान पर पूर्व में विवाह पंजीयन नहीं कराया गया है।

12. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ और नगर /ग्राम में .....दिनों /वर्षों से निवास कर रहा हूँ।

13. यह कि मेरे और कु0.....के बीच हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में वर्गीकृत किसी प्रकार की प्रतिषिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है।

14. यह कि मैं चित विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ नहीं हूँ।

15. यह कि यह मेरा प्रथम विवाह है। मेरे द्वारा विवाहों के अनुष्ठान संबंधी किसी अन्य प्रवृत्त विधि /परंपरा के अन्तर्गत पूर्व में कोई विवाह अनुष्ठापित नहीं किया गया है।

16. यह कि मैं द्वितीय पक्षकार कु0.....को साक्षियों की उपस्थिति में अपना विधिपूर्ण जीवन साथी ( पत्नी/पति) स्वीकार करने के लिए पूर्णतः सहमत एवं तत्पर हूँ।

17. यह कि विवाह पूर्व विधवा/तलाक शुदा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र सक्षम न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत कर रहे हैं।

18. यह कि मैं पूर्णतः स्वस्थ, वयस्क एवं निर्णय लेने में समर्थ होकर पूरे होशो हवास में यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। शपथ पत्र में मेरे द्वारा वर्णित प्रत्येक जानकारी एवं तथ्य पूर्णतः सत्य है। शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की मिथ्या घोषणा प्रमाणित होने पर मैं हिन्दू विवाह

अधिनियम 1955 ँव भारतीय दंड दंडिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत दंड का भागी होउगा ।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता

## सत्यापन लेख

उपरोक्त शपथ पत्र पैरा 1 से लगायत 18 तक का कुल कथन सत्य एवं सही है इसमें कोई भी कथन न तो असत्य है ना ही छिपाया गया है ।

इन्दौर, दिनांक:-

शपथग्रहिता